रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-04122025-268214
CG-DL-E-04122025-268214

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 5380] नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 3, 2025/अग्रहायण 12, 1947
No. 5380] NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 3, 2025/AGRAHAYANA 12, 1947

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 2 दिसम्बर, 2025

का.आ. 5568(अ).—जबकि, केन्द्र सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 5 के अधीन जारी की गई भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना सं. का.आ. 1052(अ), दिनांकित 05.03.2024 के द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में नया राष्ट्रीय राजमार्ग-30 [(पुराना रा. रा. सं.-221) (किमी 0.000 से किमी 71.200 तक (इब्राहीमपट्टनम – चंद्रगुंडम - आ. प्र ./तेलंगाना सीमा खंड तक खंड को छोड़कर)], को आंध्र प्रदेश राज्य सरकार को सुपुर्द कर दिया है;

अत: अब, राष्ट्रीय राजमार्ग फीस (दरों का निर्धारण और संग्रहण) नियमावली, 2008 और समय-समय पर संशोधित (जो इसके आगे 'नियम' के रूप में उल्लिखित है) के नियम 3 के साथ पठित राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) की धारा 7 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतदद्वारा आंध्र प्रदेश राज्य में रारा-30 के भद्राचलम से कोंटा खंड के डिजाइन चैनेज किमी 170+700 से किमी 234+567 (मौजूदा किमी 170+700 से किमी 236+150 तक) तक खंड नीचे दी गई तालिका 1 के कॉलम (1) में विनिर्दिष्ट वाहनों के प्रकार पर चार लेन के 1.115 किमी (तालिका-2) की निवल सड़क खंड लंबाई के उपयोग के लिए तालिका 1 के कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर पर और पेव्ड शोल्डर सहित दो लेन के 62.685 किमी (तालिका-2) निवल सड़क खंड लंबाई तथा 0.670 किमी (तालिका-3) [0.067 किमी लंबाई वाली] की समतुल्य संरचना लंबाई (60 मीटर से अधिक की लंबाई वाले) के उपयोग के लिए तालिका 1 के

कॉलम (2) में विनिर्दिष्ट आधार दर के 60 प्रतिशत पर फीस उदगृहीत करती है तथा भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण को उसके अधिकारियों अथवा किसी ठेकेदार के माध्यम से उक्त फीस के संग्रहण के लिए प्राधिकृत करती है, अर्थात्:-

तालिका-1	
वाहन का प्रकार	**आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी आधार फीस दर (रु. में)**
(1)	(2)
कार, जीप, वैन या हल्के मोटर वाहन	0.65
हल्के वाणिज्यिक वाहन, हल्के माल वाहन या मिनी बस	1.05
बस या ट्रक (दो धुरी)	2.20
तीन धुरी वाणिज्यिक वाहन	2.40
भारी निर्माण मशीनरी (एचसीएम) या अर्थ मूविंग उपस्कर (ईएमई) या बहु धुरीय वाहन (एमएवी) (चार से छ: धुरी)	3.45
विशाल आकार के वाहन (सात या अधिक धुरी)	4.20

1. इसके अंतर्गत उदगृहीत और संगृहीत फीस ऐसे पथकर प्लाजा के अंतर्गत विनिर्दिष्ट दूरी हेतु निम्नलिखित पथकर प्लाजा(ओं) में देय और संदेय होगी:-

तालिका-2		
पथकर प्लाजा का अवस्थान (चैनेज)	**लंबाई (किमी में) जिसके लिए फीस संदेय है**	**दर, जिस पर फीस संदेय है**
आंध्र प्रदेश राज्य में अल्लूरी सीताराम राजू जिले में रामगोपालपुरम में रारा-30 के किमी 188+100 पर	1.115	चार या अधिक लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 100%
	62.685	पेव्द शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

2. उपर्युक्त के अतिरिक्त, निम्नलिखित टोल प्लाजा (प्लाजाओं) पर 60 मीटर से अधिक लंबाई वाली निम्नलिखित अवसंरचनाओं के उपयोग के लिए 10 के समतुल्य गुणक द्वारा ऐसी अवसंरचनाओं की लंबाई को गुणा करके राजमार्ग की समतुल्य लंबाई में अवसंरचनाओं की लंबाई को परिवर्तित करके निम्नलिखित फीस भी देय और संदेय होगी:-

तालिका-3			
पथकर प्लाजा की अवस्थिति (चैनेज)	**समतुल्य सड़क लंबाई में परिवर्तित किए जाने के लिए अवसंरचनाओं की लंबाई (किमी में)**	**समतुल्य सड़क लंबाई (किमी में)**	**दर, जिस पर फीस संदेय है**
आंध्र प्रदेश राज्य में अल्लूरी सीताराम राजू जिले में रामगोपालपुरम में रारा-30 के किमी 188+100 पर	0.067^	0.670	पेव्द शोल्डर सहित दो लेन के लिए ऊपर तालिका-1 में उल्लिखित आधार दरों का 60%

^ब्यौरा निम्नानुसार हैं:

क्र. सं.	चैनेज		**संरचना का प्रकार**	**लंबाई (किमी में)**
	किमी से	किमी तक		
1	223+542	223+609	बड़ा पुल	0.067
कुल				**0.067**

3. गैर-वाणिज्यिक प्रयोजनों के लिए पंजीकृत यांत्रिक वाहन के स्वामी और पथकर प्लाजा से बीस किमी की दूरी के भीतर निवास करने वाले व्यक्ति के लिए मासिक पास की दर वर्ष 2025-26 के लिए 340.00 रु. (तीन सौ चालीस रुपए मात्र) है और उक्त नियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रतिवर्ष संशोधन के अध्यधीन है।

4. राजमार्ग खंड पर बहुल यात्राओं के लिए निम्नलिखित दरों पर पास जारी किए जाएंगे, अर्थात्

तालिका-4

भुगतान-योग्य धनराशि	अनुमत एकतरफा यात्राओं की अधिकतम संख्या	वैधता की अवधि
एकतरफा यात्रा के लिए फीस का डेढ़ गुना	दो	भुगतान के समय से चौबीस घंटे
पचास एकल यात्राओं के लिए भुगतान-योग्य फीस की राशि का दो-तिहाई	पचास	भुगतान की तारीख से एक महीना

5. फीस प्लाजा स्थित होने वाले जिले में पंजीकृत वाणिज्यिक वाहनों (राष्ट्रीय परमिट के अधीन प्रचालित किए जा रहे वाहनों को छोड़कर) के लिए फीस उस श्रेणी के वाहन हेतु निर्धारित दर की 50% होगी, बशर्ते कि ऐसे वाणिज्यिक वाहनों के प्रयोग के लिए कोई सर्विस रोड या वैकल्पिक सड़क उपलब्ध न हों।

6. संबंधित श्रेणी के वाहनों के लिए विनिर्दिष्ट अनुज्ञेय भार से अधिक भार लदे यांत्रिक वाहन का चालक या स्वामी या प्रभारी व्यक्ति, राष्ट्रीय राजमार्ग पर अतिभार लदे वाहन के प्रवेश के लिए टोल संग्रहण एजेंसी को ऐसी श्रेणी के वाहनों के प्रवेश लिए, कथित नियमों के नियम 10 के उप-नियम 1ए के अनुसार अनुप्रयोज्य फीस के समतुल्य फीस का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा और वह राजमार्ग खंड का प्रयोग करने के लिए तब तक हकदार नहीं होगा जब तक ऐसे यांत्रिक वाहन से लदा अतिभार हटाया नहीं जाता।

7. सभी परिभाषाएं, यांत्रिक वाहनों की श्रेणी, इनके अनुज्ञेय भार, छूट प्राप्त वाहनों की श्रेणी, सर्विस रोड, वैकल्पिक सड़क इत्यादि पूर्वोक्त नियमों में विनिर्दिष्ट परिभाषाओं के अनुरूप होंगी।

8. फीस की दरें उक्त नियमों के नियम 12 के अनुसरण में प्रयोक्ताओं के सूचनार्थ प्रदर्शित करनी होंगी।

9. यांत्रिक वाहनों से फीस की वास्तविक राशि उपर्युक्त तालिका-1 में यथा-उल्लिखित आधार वर्ष 2007-08 के लिए प्रति किमी फीस की आधार दर के आधार पर प्रभारित होगी और छूटों की गणना भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा खंड की पूरी हो गई लंबाई के आधार पर की जाएगी और उसे उक्त नियमों के नियम 5 के अनुसार प्रति वर्ष संशोधित किया जाएगा तथा तदनुसार उसे अंग्रेजी और क्षेत्रीय भाषा के कम से कम एक-एक समाचार पत्र में प्रकाशित किया जाएगा।

10. इस परियोजना की प्राक्कलित पूंजीगत लागत 301.17 करोड़ रु. है। भूमि अधिग्रहण, पुनर्स्थापन और पुनर्व्यस्थापन, सिविल कार्यों संबंधी कार्यकलापों को अभी पूरा किया जाना है। इसलिए, पूंजीगत लागत परिवर्तन के अध्यधीन है। प्राप्त प्रयोक्ता फीस के माध्यम से वसूल की गई पूंजीगत लागत का भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा रिकार्ड रखा जाएगा।

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एनएच-12014/12/2021-एपी/जोन-।।।/ई-202191]

चेतना नंद सिंह, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 2nd December, 2025

S.O. 5568(E).—Whereas by notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways vide S.O. No. 1052 (E) dated 05.03.2024 issued under section 5 of National Highway Act, 1956 (48 of 1956), the Central Government has entrusted New NH-30 (old NH No.221) [excluding from Km. 0.000 to Km. 71.200 (Ibrahimpatnam -Chandragundem - AP/Telangana border Section)] in the state of Andhra Pradesh to State Government of Andhra Pradesh;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 7 of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956), read with rule 3 of the National Highways Fee (Determination of Rates and Collection) Rules, 2008 (hereinafter referred to as the "rules"), the Central Government hereby levies the fee at the rate specified in columns (2) of the

Table 1 for net road section length of 1.115 kilometer [Table-2] for use of four lane and at sixty per cent of the base rate specified in column (2) of the Table 1 for net road section length of 62.685 kilometre [Table-2] and for equivalent structure length (having length more than the 60 m) of **0.670 km [Table-3]** (having length of **0.067 km**) for use of two lane with paved shoulders on the type of vehicles specified in column (1) of the Table 1 below of Bhadrachalam to Konta Section from design Km. 170+700 to Km. 234+567 (Existing Ch. Km. 170+700 to Km. 236+150) of National Highway number 30 in the state of Andhra Pradesh and authorises the National Highway Authority of India to collect, either through its officials or through a contractor, the said fee, namely:—

Table-1

Type Of Vehicle	**Base rate of fee per km for the base year 2007-08 (in Rupees)**
(1)	(2)
Car, Jeep, Van or Light Motor Vehicle	0.65
Light Commercial Vehicle, Light Goods Vehicle or Mini Bus	1.05
Bus or Truck (Two Axles)	2.20
Three-axle commercial vehicles	2.40
Heavy Construction Machinery (HCM) or Earth Moving Equipment (EME) or Multi Axle Vehicle (MAV) (four to six axles)	3.45
Oversized Vehicles (seven or more axles)	4.20

1. The fee to be levied and collected hereunder shall be due and payable at the Fee Plaza for net road length specified for such Fee Plaza(s) namely:-

Table-2

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length (in km) for which Fee is payable**	**Rate at which fee is payable**
At km 188+100 of NH-30 in Ramagopalapuram village in Alluri Sitharama Raju District of the State of Andhra Pradesh	1.115 km.	100% for four or more lane, of the base rates mentioned in Table -1 above
	62.685 km.	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-1 above

2. In addition to above, the following fee shall also be due and payable for the use of the following structures having length more than 60m at the following Fee Plaza(s), by converting the length of structures into an equivalent length of highway by multiplying the length of such structures by an equalization factor of 10:-

Table-3

Location of Fee Plaza (chainage)	**Length of structures (in km) to be converted into equivalent road length**	**Equivalent road length (in km)**	**Rate at which fee is payable**
At km 188+100 of NH30 in Ramagopalapuram village in Alluri Sitharama Raju District of the State of Andhra Pradesh	0.067^	0.670	60% for two lane with paved shoulders, of the base rates mentioned in Table-I above

^The details are as under:

S. No.	**Chainage**		**Type of Structure**	**Length (in km)**
	From Km	**To Km**		
1	223+542	223+609	Major Bridge	0.067
Total				**0.067**

3. The rate of monthly pass for a person who owns a mechanical vehicle registered for non-commercial purposes and resides within a distance of twenty kilometers from the fee plaza is **Rs. 340.00/- (Rupees Three Hundred and Forty only)** for the year 2025-26 and is subject to revision every year as per the provisions of the said rules.

4. For multiple journeys on the highway section, passes shall be issued at the following rates, namely:

Table-4

Amount Payable	Maximum number of one way journeys allowed	Period of validity
One and half times of the fee for one way journey	Two	Twenty Four Hours from the time of payment
Two-third of amount of the fee payable for fifty single journeys	Fifty	One month from date of payment

5. Fee for commercial vehicle (excluding vehicles plying under National permit) registered in the district where the fee plaza falls shall be 50% of the specified rate for that category of vehicle provided no service road or alternative road is available for use of such commercial vehicles.

6. The driver or owner or a person in charge of a mechanical vehicle which is loaded in excess of permissible load specified for its category, shall be liable to pay fee for entering the overloaded vehicle on the National Highway to the fee collecting agency, equal to the fee specified in sub-rule 1A of rule 10 of the said rules, and shall not be entitled to make use of the highway section unless the excess load has been removed from such mechanical vehicle.

7. All definitions including category of mechanical vehicles, its permissible load, category of exempted vehicles, service road, alternative road etc. shall be as per definitions specified in the said rules.

8. The fee rates shall be displayed for information of the users in accordance with rule 12 of the said rules.

9. Based on the base rate of fee per kilometer for the base year 2007-08 as mentioned in Table-1 above, the actual amount of fee to be charged from the mechanical vehicle and the discounts will be calculated by the National Highways Authority of India on the basis of completed length of the section and revised annually in accordance with the rule 5 of the said rules and the same shall be published in at least one newspaper in English and vernacular language.

10. The estimated capital cost of the project is **Rs.301.17 crore**. The Capital cost is subjected to variation as activities of the land acquisition, rehabilitation and resettlement, civil works yet to be completed. The National Highways Authority of India shall maintain a record of the recovery of capital cost through user fee realised.

[F. No. RW/NH-12014/12/2021-AP/Zone-III/E-202191]

CHETNA NAND SINGH, Jt. Secy.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.

GORAKHA NATH YADAVA
Digitally signed by GORAKHA NATH YADAVA
Date: 2025.12.04 16:42:08 +05'30'